न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खोरीमहुआ (गिरीडीह)

अग्रक्रयाधिकार वाद सं0–1/20–21

ज्योति देवी –बनाम्– नुरेश खातुन वगैरह

आदेश

24.01.22 निबंधित दलील सं0–320, दिनांक–19.03.2020 के माध्यम से हस्तानांतरित भूमि का आसनवर्त्ती रैयत रहने का उल्लेख कर प्रस्तुत अग्रक्रयाधिकार आवेदन की सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से बताया गया कि बिक्रीत प्लॉट का कुल रकवा 1 एकड़ 3.5 डिसमिल के आंशिक रकवा 25 डिसमिल का खरीदगी इन्होंने दलील सं0–4427, दिनांक–16.10.2004 तथा दलील सं0–3497, दिनांक–18.07.2005 के माध्यम से किया है तथा नामांतरण सहित दखलकार है एवं उसी प्लॉट के आंशिक रकवा को विपक्षी द्वारा दिनांक–19.03.2020 के माध्यम से खरीदा है जिसे खरीदने का पहला अधिकार हमें प्राप्त है तद्नुसार इनके आवेदन को स्वीकत कर विपक्षी के दलील के शर्त्तों पर उक्त भूमि का निबंधन इनके नाम कराया जाना नियमसंगत एवं बाध्यकारी रहने का उल्लेख किया गया एवं अपने आवेदन को स्वीकत करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी की ओर से आवेदक के खरीदगी प्लॉट का आसन्नवर्त्ती रैयत या सहहिस्सेदार रहने के कथन को गलत बताकर कहा गया कि वस्तुतः भूमि का खरीद बिक्री दलील सं0–5209, दिनांक–20.12.2004 को ही हुआ था तथा आवेदक द्वारा भी वर्ष 2004 एवं 2005 में अपने भूमि के खरीदगी की वास्तविकता स्वीकार की गयी है जिससे स्पष्ट है कि आवेदित प्लॉट पूर्व में ही बिखण्डित हो चुका है एवं वर्ष 2004 के विपक्षी सं0–2 के खरीदगी दलील को आवेदक द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गयी तथा 16 वर्ष वाद अनुवर्त्ती खरीद–बिक्री को चुनौती दिये जाने का कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं है बल्कि कषि योग्य बड़े प्लॉट के विखण्डन को रोकने हेतु ही यह कानून लागू है जिसका कोई उपयोग वर्त्तमान प्लॉट के संबंध में किया जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि प्लॉट का विखण्ड पूर्व में कई अवसरों पर हो चुका है एवं आवेदक का आवेदन अपोषणीय तथा खारीज करने योग्य रहने का उल्लेख कर आवेदन खारीज करने का अनुरोध विपक्षी द्वारा किया गया।

Scanned with CamScanner

पक्षकारों को सुनने तथा कागजात एवं अधिनियम के प्रभावी प्रावधानों पर गौर करने के पश्चात मैं पाता हूँ कि वर्ष 2004 में ही विखण्डित प्लॉट के अनुवर्त्ती हस्तानांतरण वर्ष 2020 के संबंध में अग्रक्रयाधिकार संबंधी दावा पोषणीय नहीं है तद्नुसार आवेदक का आवेदन खारीज किया जाता है।

24/1/2022
भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता
खोरीमहुआ (गिरीडीह)

लेखापित एवं संशोधित

24/1/2022
भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता
खोरीमहुआ (गिरीडीह)

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.05.11 00:25:19 +05:30
Location: 192.168.29.192

Scanned with CamScanner